आधुनिक राज्य की संकल्पना में एक निश्चित भू-भाग इतनी महत्वपूर्ण तत्व है कि कोई भी दो राज्य समान भू-भाग पर अपना दावा नहीं रख सकते। हाँ जो disputed area है (जिनपे झगड़े चल रहे हैं इसको छोड़कर) वो अपवाद हो सकते हैं। या निर्धारण की प्रक्रिया जारी है।

SOVEREIGNTY / संप्रभुता

संप्रभुता का मतलब ultimate authority / सर्वोच्च शक्ति / सत्ता / अधिकार निर्णयकर्ता

(कानून और संप्रभुता में अंतर है)

- ऐसी सत्ता / Authority जिसका आदेश / निर्णय अंतिम है, उसके खिलाफ कहीं भी अपील नहीं किया जा सकता।
- राज्य में बहुत सारे Authority / संस्था / संगठन / office हो सकते हैं लेकिन वह संप्रभु नहीं हो सकते। संप्रभु सिर्फ राज्य हो सकता है।
- सभी संगठन / संस्था / office / व्यक्ति (व्यक्तियों के समूह को अपने आप को राज्य की संप्रभु शक्ति के सामने समर्पण करना पड़ता है।

राज्य अपने आंतरिक एवं बाह्य दोनों मामलों में निर्णय के लिये संप्रभु होता है।

यह अंतर्राष्ट्रीय समझौतों (International conventions) का पालन कर सकता है लेकिन अपनी सहमति से।

जबतक एक वैश्विक सरकार (World Government) की कल्पना साकार नहीं हो जाती कोई भी अन्य संस्था / शक्ति संगठन किसी राज्य को उसके आंतरिक एवं बाह्य मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

(4)

पहली शर्त

(1.) Population / जनसंख्या

कानूनी तौर पर दृष्टिकोण से

[शासक - those who rule
शासित - Those who ruled

Numbers

Plato - 5040 (Laws)
प्लेटो
Aristotle - 100,000
अरस्तू
Rousseau - 10,000
रूसो

] Ideal Number/ population

Modern Period
आधुनिक / वर्तमान काल में
- कोई निश्चित संख्या निर्धारित नहीं
भारत, चीन, अमेरिका - ---
मोनाको, San Marino, Vatican city (109 वर्ग)
Iceland → (लगभग 2 लाख)

- Legal Point of view

जनसंख्या / Population

[Ruler/शासक
Ruled/शासित

1. Citizens (नागरिक)	2. Subjects (आश्रित)
↓	↓
Rights अधिकार	duties कर्तव्य

व्यवहारिक दृष्टिकोण

People possess a dual character
दोहरा चरित्र निभाते हैं

(2) क्षेत्रफल (TERRITORY)

- बिना एक निश्चित भू-भाग के राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती खासकर आधुनिक राज्य की संकल्पना तो नहीं की जा सकती।

- बिना एक निश्चित भू-भाग के एक संप्रभु सरकार नहीं हो सकती जिसको आप (Territorial Sovereignty) (क्षेत्रीय संप्रभुता) कहते हैं

[संप्रभुता [राज्य की सीमा का आंतरिक एवं बाह्य नियंत्रण पर संप्रभुता] सर्वोच्चता

कानून व्यवस्था (Social order) (सामाजिक व्यवस्था) बनाये रखने के लिये करती है।

आंतरिक एवं बाह्य रूप से प्रभावित करने वाले कारण/स्थिति/तत्व से निपटने के लिये

यह परिभाषा बहुलवादी दृष्टिकोण से प्रेरित लगता है या इसका झुकाव राज्य के बहुलवादी दृष्टिकोण की तरफ है।

संप्रभुता — यह परिभाषा कानून, सरकार, coercive power (बलपूर्वक उपयोग कराने वाली शक्ति/शोषण करने वाली शक्ति) सामुदायिक एकता, स्वतंत्रता स्पष्ट रूप से चिन्हित किया हुआ क्षेत्रफल (clearly Marked Territory) सामाजिक व्यवस्था (social order) को प्रभावित करने वाली वैश्विक बाह्य स्थिति (the Universal external conditions of social order)

~~ये सारे तत्व है जो आप राज्य के लिए~~

ये सारे महत्वपूर्ण तत्व है जो राज्य के किसी भी अच्छी परिभाषा के मिलेंगे। इन तत्वों के बिना आप राज्य को परिभाषित नहीं कर सकते।

ESSENTIAL ELEMENTS OF THE STATE
राज्य के महत्वपूर्ण तत्व

- Population (जनसंख्या)
- Territory (क्षेत्रफल)
- Sovereignty (संप्रभुता)
- Government (सरकार)

आदि समान होता है और इन सबसे ऊपर मनुष्यों/नागरिकों के उस अधिकार/लाभ को सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र, संप्रभु संगठित सरकार होती है, जो न सिर्फ अपने नागरिकों के अधिकार एवं व्यवहार को सुनिश्चित करती है, ~~बल्कि~~ उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए न सिर्फ युद्ध एवं शांति बहाल करती है बल्कि दुनिया के अन्य भागों के जुड़ने के अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रवेश करती है।

वर्तमान या आधुनिक विद्वानों ने भी राज्य ~~की परिभाषा~~ को अपने समझानुसार परिभाषित करते रहे हैं। इनमें गार्नर (Garner) एवं (MacIver) मैकाईवर की परिभाषा सबसे उत्तम मानी जाती है।

गार्नर के अनुसार : राजनीतिक विज्ञान और लोक कानून के संकल्पना/धारणा के अनुसार राज्य स्थायी रूप से एक निश्चित क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों का समूह है, जो आंतरिक एवं बाह्य/बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र, संस्था है; जो एक संगठित सरकार द्वारा संचालित होता है और उसके निवासी अपने सरकार के आदेश पालन करने का आदि होते हैं।

MacIver (मैकाईवर) के अनुसार : राज्य एक ऐसी संस्था/संघ है जो सरकार द्वारा बनाये गये कानूनों द्वारा संचालित होती है जिसके पास ~~बलपूर्वक इन कानूनों के पालन कराने के लिये~~ कानून या अन्य आदेशों के बलपूर्वक पालन कराने की शक्ति होती है (coercive power), जिसका प्रयोग एक चिन्हित क्षेत्रफल में

⑥

सरकार / GOVERNMENT

सरकार राज्य की राजनीतिक ईकाई/संस्था है। ~~इसके तीन अंग हैं~~ ~~Executive~~, ~~Legislature~~, ~~Judiciary~~ ~~जैसे कार्यपालिका~~ राज्य अपनी संप्रभु शक्ति का उपयोग सरकार द्वारा ही करती है, यदि एक लोकतांत्रिक देश में ultimate sovereign (सर्वोच्च/अंतिम संप्रभु) जनता/लोग/नागरिक है, ~~तो विधायी रूप से/~~ देश की व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए कानूनों के निर्माण अर्थात विधायी रूप से सरकार संप्रभु है।

- सरकार के बिना राज्य की अवधारणा अकल्पनीय है। ~~क्योंकि~~ उसके बिना राज्य चल ही नहीं सकता, नीतियों के निर्धारण से लेकर, उसका पालन एवं व्यवस्था को बनाये रखने के लिए राज्य को सरकार की जरुरत है। - मैकाईवर के अनुसार -
- सरकार राज्य का प्रशासनिक अंग है।
- सरकार ~~किसी भी राज्य के~~ ही राज्य की संप्रभुता, जनसंख्या, क्षेत्रफल, संविधान, भारत आदि की रक्षा करती है।